सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 21/2016

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. छोटू पुत्र श्री भूरा जाति कहार निवासी उन्दरी तहसील केकडी जिला अजमेर।

----वादी

♠बनाम♠

1. छीतर पुत्र हरदेव कहार
2. रामलाल पुत्र छीतर कहार
3. रामेश्वर पुत्र छीतर कहार
4. घनश्याम पुत्र छीतर कहार
   निवासी उन्दरी तहसील केकडी जिला अजमेर राज.
5. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकडी तह.केकडी जिला अजमेर

------प्रतिवादीगण

6. गोकल पुत्र श्री भूरा कहार
7. ग्यारसीलाल पुत्र भूरा कहार
   निवासीगण उन्दरी तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,209,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक

पत्रावली आज दिनांक 07.05.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर में पेश हुई।

प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188,209,राज. काश्तकारी अधिनियम के साथ अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी के वाद पत्र में वर्णित भूमि वाके ग्राम कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2070-73 के खाता स. 44 के खसरा नम्बर 182,188,190,1011,1014, रकबा क्रमशः 0.27, 0.18, 0.28, 0.20, 0.25 कुल किता 5 कुल रकबा 1.18 है. दर्ज खातेदार है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी एंव प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण 6व 7तथा इनके भाई मृतक लादू व सुखा की खातेदारी की आराजीयात है। तथा मृतक लादू व सुखा नाऔलाद फोत हो चुके है। इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात वादी व प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण 6 व 7 के संयुक्त खातदेारी कब्जे आधिपत्य में चली आ रही है। प्रतिवादीगण स. 1लगायात 4 का वाद वर्णित आराजीयात में कभी कोई सरोकार नही रहा है न ही वर्तमान में है। वाद वर्णित आराजीयात पर वादी व प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण 6 व 7 का ही कब्जा काश्त स्वामित्व व आधिपत्य है। वादी द्वारा दिनांक 24.12.2015 वाद वर्णित आराजीयात पर काश्त करने गये तब प्रतिवादी स.द 1लगायत 4 ने वाद वर्णित आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और वादी व प्रफॉर्मा प्रतिवादी 6 व 7 द्वारा वाद वर्णित आराजीयात पर की जाने वाली काश्त में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई। वादी द्वारा प्रतिवादीगण 1लगायात 4 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है।

वादी के वाद पत्र वर्णित आराजीयात जमाबन्दी संवत 2070-73 खाता स. 44 के खसरा नम्बर 182,188,190,1011,1014, रकबा क्रमशः 0.27, 0.18, 0.28, 0.20, 0.25 कुल किता 5 कुल रकबा 1.18 है. गोकल ,लादू ,सुखा, ग्यारसीलाल ,छोटू पि. भूरा कहार सा.देह खातेदार राहिन बीआरजीबी कालेडा कृष्णगोपाल लादू सुखा ग्यारसीलाल का हि. दर्ज खातेदार है। वादी का वाद पत्र में वर्णित आराजीयात पर वादी की संयुक्त खातेदारी होने वादी का वाद जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण ने कोई जवाब आदि पेश नही किया। आज पत्रावली केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कालेडा कृष्णगोपाल में पेश हुई । वादी का वाद सयुक्त खातदेारी होने से स्वीकार योग्य है।

अतः वादी के वाद पत्र में हमने मनन किया गया वादी के वादी वाद पत्र में वर्णित आराजीयात स्वंय की खातेदारी आराजीयात होने से प्रतिवादीगण 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादपत्र वर्णित वाके ग्राम कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर के 2070-73 खाता स. 44 के खसरा नम्बर 182, 188, 190, 1011, 1014, रकबा क्रमशः 0.27, 0.18, 0.28, 0.20, 0.25 कुल किता 5 कुल रकबा 1.18 है. भूमि वादी की स्वयं की खातेदारी भूमि होने से प्रतिवादीगण को सदैव के लिये कब्जे काश्त में एवं अन्य कोई निर्माण कार्य न करने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर मजमें आम मे सुनाया गया एवं निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी